राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1729/2013/जयपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त–शाहजंहापुर, अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जैन टयूब्स
60, दशहरा रोड, आमेर रोड, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग यह अपील अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 236/अपील्स/आरएसटी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–शांहजहांपुर, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(5) सपठित धारा 24(6) (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.09.2011 के जरिये आरोपित की गई मांग राशियों को अपास्त रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2000 को वाहन संख्या एच.आर. 38/डी–3003 की जांच की गई, जिस पर वाहन द्वारा पाईप्स जयपुर से गाजियाबाद परिवहनित होना पाया गया। प्रस्तुत माल के संबंध में एस–टी 18ए रिक्त होना पाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14.09.2011 पारित करते हुए शास्ति रूपये 47,520/– का आरोपण किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किए जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.11. 2012 से अपील प्रतिप्रेषित की, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है। साथ ही प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 11.11.2014 को पारित कर दिया।

4. एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 30.11.2012 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 11.11.2014 द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर दिये है। चूंकि व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

लगातार.....2

अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2012 को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 11.11.2014 पारित कर दिया है, जिससे वर्तमान में लम्बित यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

7. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

8. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दि. 30.11.2012 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 11.11.2014 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है** :–

"In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

9. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर. टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक 11.11.2014 को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है ।

10. परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती है।

11. निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य